अनुसूची 14–फारम सं0– 462

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 126)

आदेश पत्रक – ता0..... से ..... तक

जिला..... सं0..... सन् 16.....

केश का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित 3

न्यायालय, उप निदेशक, कल्याण, कोशी प्रमंडल, सहरसा

आँगनबाड़ी अपीलवाद संख्या– 11–110/2013

अपीलार्थी – रिंकू कुमारी

बनाम

रेस्पोण्डेन्ट – बिहार, सरकार

–: **आदेश** :–

प्रश्नगत आँगनबाड़ी अपीलवाद निम्न न्यायालय सुपौल जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के द्वारा पारित आदेश ज्ञापांक 1796 दिनांक 20.12.2012के विरूद्ध इस न्यायालय में स्थानान्तरित होकर दायर किया गया है।

इस अपीलवाद में मामला यह है कि मरौना परियोजना (सुपौल) के केन्द्र संख्या 78 मध्य विद्यालय सिराजपुर का महिला पर्यवेक्षिका श्रीमती कविता कुमारी प्रतापगंज द्वारा दिनांक 25.07.2012 को 12:20 बजे दिन में बाल पोषाहार निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय केन्द्र बन्द पाया गया ग्रामीणों ने उन्हें बताया कि सेविका विद्यालय पर टीकाकरण कार्य में है लेकिन वहाँ भी महिला पर्यवेक्षिका के जाने पर सेविका अनुपस्थित पायी गई, बुलाने पर 12:45 बजे सेविका टीकाकरण स्थान पर उपस्थित हुई।

महिला पर्यवेक्षिका के प्रतिवेदन के अधार पर कि केन्द्र बन्द रहने संबंधी आरोप लगने पर सेविका को कार्यालय पत्रांक 1214/प्रो0 दिनांक 24.08.2012 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गई। निर्धारित तिथि 31.08.2012 को सेविका स्पष्टीकरण के साथ उपस्थित हुई, अपने स्पष्टीकरण में सेविका ने बताया कि

12:00 बजे तक प्रश्नगत केन्द्र का समुचित संचालन कर केन्द्र बन्द कर दी क्योंकि केन्द्र संचालन का परिवर्त्तित समय की जानकारी उन्हें नहीं थी, और मैं पूर्व से द्वितीय डियुटी टीकाकरण कार्य के लिए अपने पोषक क्षेत्र में बच्चों को बुलाने उनके घर पर गई थी। दूरभाष पर महिला पर्यवेक्षिका के आगमन पर सूचना मिलने पर मैं टीकाकारण स्थल पर 12:45 बजे आ गई

इस अपीलवाद की सुनवाई इस न्यायालय में की गई जिसमें अपीलार्थी के अधिवक्ता, सरकारी अधिवक्ता ने अपीलवाद के संबंध में अपना–अपना पक्ष, कागजात व सबूत पेश किए। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने बताया कि सेविका से जो स्पष्टीकरण पत्रांक 1214 दिनांक 24.08.2012 से मांग किया,गया उसमें आरोप यह है कि केन्द्र का निरीक्षण किया गया केन्द्र बन्द पाया गया ग्रामीणों ने सेविका के संबंध में बताया कि आगे कुछ दुरी पर विद्यालय है जहाँ सेविका टीकाकरण कार्य करवा रही है, जाने पर वहाँ भी सेविका उपस्थित नहीं पाई गई, बुलाने पर 12:45 में सेविका टीकाकरण स्थल पर आई। उन्होंने बताया कि निर्धारित तिथि दिनांक 31.08.2012 को सेविका द्वारा स्पष्टीकरण जबाव समर्पित किया गया हैं, चूँकि दिनांक 25.07.2012 निरीक्षण तिथि को सेविका टीकाकरण कार्यक्रम में कार्यरत थी, और विद्यालय पर टीकाकरण करवा रही थी, सहायिका केन्द्र पर बच्चों को पूरक शिक्षा एवं पोषाहार (गीलाराशन) खिलाकर 12 बजे केन्द्र बन्द कर चली गई, तथा सेविका टीकाकर्मी के आदेशानुसार पोषक क्षेत्र के बच्चों को बुलाने चली गई थी, तथा इसी बीच महिला पर्यवेक्षिका टीकाकरण स्थल पर आई, जहाँ सेविका से उनकी मुलाकात भी हुई। टीकाकरण कार्यक्रम में कार्यरत रहने का प्रमाण टीकाकरण रिर्पोट राज्य स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना प्रति, जिसमें टीकाकरण तिथि को अपीलार्थी का हस्ताक्षर एवं ANM का हस्ताक्षर भी दोनों दर्ज है, अवलोकन कराया गया। राज्य स्वास्थ्य समिति प्रतिवेदन में यह भी दर्ज है कि गाँव सिराजपुर – 78 गाँव के लाभुक वर्ग के बीच टीकाकरण कायकर्म पूर्व से निर्धारित है। जिसमें टीकाकरण कार्य में सेविका को भी लगाया गया है, जिसमें निम्न टीके दिए जाएगें। टीकाकरण दिवस पर डी0पी0टी0, ओ0 पी0 वी0, बी0सी0जी0, खसरा, जापानी इन्से फलाईटिस, टी0वी0, HEP-B का टीकाकरण कार्य किया गया। जिसमें वहाँ की ANM आशा कार्यकर्त्ता, ने भी उन्हें महत्त्वपूर्ण सहयोग प्रदान किए इस प्रकार प्रमाणित है कि सेविका केन्द्र से अनुपस्थित नहीं थी, बल्कि पोषकक्षेत्र सिराजपुर –78 केन्द्र पर टीकाकरण कार्यक्रम में योगदान कर रही थी।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने बतलाया कि निम्न न्यायालय जिला प्रोग्राम पदाधिकारी का आदेश इस रूप में गलत है कि इस अपीलवाद में सुनवाई के पहल जिला पदाधिकारी न्यायालय सपौल के द्वारा भी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सपौल से

अपीलवाद के संबंध में बिन्दुवार मंतव्य युक्त प्रतिवेदन की माँग की थी, जिसके आलोक में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल ने पत्रांक 571 दिनांक 6.5.2013 से सी0डी0पी0ओ0 मरौना से जाँच प्रतिवेदन की माँग किया गया था। इस संदर्भ में सी0डी0पी0ओ0 मरौना द्वारा दिनांक 18.5.2013 को सेविका के केन्द्र स्थल 78 पर स्वंय जाकर विस्तार पूर्वक जाँच किया गया पोषकक्षेत्र के लाभुकों का बयान दर्ज किया गया उपस्थित पंजीकृत लाभुकों के अभिभावकों ने बताया कि निरीक्षण की तिथि 25.7.2012 को सेविका टीकाकरण कार्य में थी, तथा सेविका द्वारा नियमित एवं सही रूप में केन्द्र संचालन किया जाता रहा है, किसी भी लाभुकों ने किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज नहीं की, निरीक्षण पंजी की भी जाँच किया गया, कभी भी निरीक्षण पंजी में कोई टिप्पणी/गलत टिप्पणी नहीं दर्ज देखा गया। इस प्रकार अपने जाँच प्रतिवेदन में सी0डी0पी0ओ0 मरौना ने यह लिखित बयान पत्रांक 194 दिनांक 05.06.2013 द्वारा दिया कि सेविका का कियाकलाप संतोषप्रद व अच्छा है, उन्हें कड़ी चेतावनी देकर चयनमुक्त आदेश को निरस्त किया जा सकता है।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने इस ओर भी ध्यान आकृष्ट कराया कि चयनमुक्ति आदेश पत्र में वर्णित है कि केन्द्र का जाँच महिला पर्यवेक्षिका कविता कुमारी प्रतापगंज द्वारा किया दिनांक 25.07.2012 को 12:20 बजे किया जबकि जाँच प्रतिवेदन जो इस न्यायालय को D.P.O सुपौल ने एल0सी0आर के साथ भेजा है, उसमें यह दर्ज है कि केन्द्र संख्या 78 की जाँच रीता कुमारी द्वारा दिनांक 25.07.2012 को 11:30 बजे में किया गया जो स्पष्ट करता है कि जाँच प्रतिवेदन संदेहास्पद है, एवं विरोधा भासी भी है।

इस संबंध में सरकारी अधिवक्ता ने बताया कि सेविका/सहायिका ने केन्द्र बन्द कर 12 बजे घर प्रस्थान कर गई, किन्तु केन्द्र संचालित रहने का समय तो 1:00 बजे तक था, तो निर्धारित समय से 1 घंटे पूर्व बन्द 12 बजे क्यों किया गया यह तो लापरवाही है, सेविका का यह कहना कि केन्द्र संचालन का समय मालूम नहीं होना यह भी उनकी लापरवाही को दर्शाता है, किन्तु अपीलार्थी के अधिवक्ता ने बताया कि केन्द्र समुचित रूप से संचालन कर सेविका टीकाकरण जैसे महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम में अपनी भागीदारी दी है। अतः इसमें तर्क करना उचित नहीं है।

अतः उपरोक्त सारे विवेचनाओं एवं निष्कर्षों के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँची कि ठीक है कि निरीक्षण समय 12:20 बजे केन्द्र बन्द था, ग्रामीणों ने बताया कि केन्द्र आज खुला था नियमित संचालन भी हुआ सेविका टीकाकारण कार्य में कार्य कर रही थी, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी का यह कथन कि सेविका द्वारा पोषक क्षेत्र में बच्चों, माताओं को टीकाकरण कार्य हेतु बुलाने का प्रश्न है, लाभार्थी पूर्व से ही तिथि

पर आ जाते हैं, यह सर्व विदित है, किन्तु जहाँ तक ग्रामीणों टोले, कस्बे की बात है अधिकांश ग्रामीण टीकाकरण के महत्त्व को नहीं जानते हैं, उन्हें ज्ञात कराना पड़ता है, समय पर टीकाकरण हो जाने पर अमुक–अमुक बीमारी से आप बचे रहेंगे। अतः अनुमान लगा लेना कि केन्द्र बन्द था, सेविका/सहायिका आज केन्द्र संचालित नहीं कि पूरक पोषाहार नहीं दिया गया, यह पूर्णतः सही प्रतीत नहीं होता है, अगर ऐसी बात की शंका/भ्रम उन्हें लगा विभागीय मार्गदर्शिका 956–14.3.2012 के कंडिका (3)–(1) के अनुरूप तो पंजीकृत लाभुको बच्चों के माता–पिता/अभिभावक से तीन लिखित बयान लेने चाहिए, न कि Prejumtion के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय के पारित निर्णय C.W.J.C. 18817/012 एवं जिलाधिकारी के निर्देश पर डी0पी0ओ0 ने सी0डी0पी0ओ0 मरौना से जब जाँच कराया तो सी0डी0पी0ओ0 मरौना ने यह लिखित बयान पत्रांक 194 दिनांक 5.6.2013 द्वारा दिया कि निरीक्षण तिथि को भी सेविका ने समुचित रूप से केन्द्र संचालन कर निर्धारित तिथि को आधें घंटे पूर्व कन्द्र को बंद कर टीकाकरण कार्य को संपादित किए है अतः सेविका को कड़ी चेतावनी देकर माफ कर दिया जा सा सकता है। केवल अनुमान लगा कर निर्णय लेना गलत/ अनुचित है, बल्कि उसकी तहकीकात जाँच कर लेनी चाहिए।

उपरोक्त वर्णित पक्ष/विपक्ष के बयान एवं निष्कर्षो के अधार पर यह न्यायालय इस नतीजे पर पहुँची कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी का चयन मुक्ति आदेश पूर्णतः सही नहीं है,अपीलवाद को स्वीकार करते हुए इसे खंडित किया जाता है, सेविका उक्त तिथि को समुचित रूप से केन्द्र संचालन कर टीकाकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी प्रदान की है, अतः उक्त तिथि को दो–दो कार्य करने के बाद भी उसे चयन मुक्ति आदेश देना उनके मनोबल को तोड़ने जैसा है, आधा –एक घंटा निर्धारित समय से पूर्व केन्द्र बंद करने के आरोप में उसे कड़े चेतावनी देकर केन्द्र का संचालन करने का एक मौका इस आदेश निर्गत होने के तिथि से दिया जाता है। साथ ही हिदायत दिया जाता है कि भविष्य में उस गलती की पुनरावृति न हो उन्हें निर्देश दिया जाता है कि व पुनः मुस्तैदी व जबाबदेही के दायित्वों के साथ केन्द्र का संचालन नियमित तरीके से करेंगे । किसी भी प्रकार की कोताही नहीं करेंगे।

लेखापित एवं संशोधित

6.1.2015

उप निदेशक कल्याण
कोशी प्रमंडल सहरसा

6.1.2015

उप निदेशक कल्याण
कोशी प्रमंडल सहरस